न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

भरत साव वगैरह .... बनाम .... अनिल साहु वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं0–एम 142/2017 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी ,बुण्डू के अप्राथमिकी सं0–39/17 दिनांक–25-10-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि बुण्डू थाना कॉ०सं० 62/17 दिनांक 12/10/17 धारा 341/323/34 भा०द०वि० एवं बुण्डू थाना कॉ०सं० 63/17 दिनांक 12/10/17 धारा 341/323/504/34 भा०द०वि० में टेम्पू से समान नहीं लाने को लेकर आपस में गाली गलौज एवं मारपीट होने को लेकर उभय पक्ष में तनाव है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 24-11-17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। (हस्ताक्षर) 6/11/17 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
24.11.17 08-12-17	पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त दिनांक 29-12-17 को रखें।	

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर	
	अनुपस्थित द्वितीय पक्ष क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष जवाब दाखिल करें। दिनांक 15-06-18 को रखें।	
	5/6/18	
15-06-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष जवाब दाखिल करें। दिनांक 29-06-18 को रखें।	
	15/6/18	
29/06/18	पीठासीन पदाधिकारी अवकाश पर। दिनांक 09-07-18 को रखें।	
09-07-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष अधिवक्ता हाजरी। उक्त वाद में 6 (छः) माह	

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है।	
	9/3/18	